

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-३)



क्रमांक एफ १(२)ग्रावि / नरेगा / माद / पार्ट-IV / १०


जयपुर, दिनांक : २६/४/२०११

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः—महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय के संबन्ध में।
महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची १ के बिन्दु संख्या ८ के अनुसार ९ घण्टे की कार्य अवधि मय विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि योजनान्तर्गत कार्यों का समय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेंगे। कार्य समय इस प्रकार निर्धारित किया जावें कि कार्य अवधि ९ घण्टे मय १ घण्टे के विश्राम काल के हो। विश्राम काल का प्रावधान नहीं रखने की स्थिति में ८ घण्टे की कार्य अवधि निर्धारित की जा सकती है। जिला स्तर पर इस संबन्ध में निर्देश आपके द्वारा जारी किये जावें एवं इसमें इस बात का भी प्रावधान किया जावें कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड़ सकता है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें एवं जारी आदेशों से इस विभाग को भी अवगत कराने का श्रम करें।


 (सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
२. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
३. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
४. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी।
५. निजी सचिव, सचिव मुख्यमंत्री जी।
६. सभागीय आयुक्त, समस्त।
७. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
८. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।
९. रक्षित पत्रावली।


 परि. निदे. एवं उप सचिव, इंजीएस